भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4494
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

बच्चों का दुर्व्यापार

4494. श्री पल्लब लोचन दासः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने श्रम, यौन और शोषण के अन्य रूपों हेतु बच्चों के दुर्व्यापार से निपटने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा बचाव, पुनर्वास, कौशल विकास के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और मानव दुर्व्यापार से छुड़ाए गए लोगों के वैकल्पिक जीविका विकल्प हेतु क्या प्रावाधन है;
(ग) उक्त उपायों हेतु कितना बजट आवंटन किया गया है तथा कितना धन व्यय किया गया है; और
(घ) व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख): हालांकि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' राज्य का विषय है और इस प्रकार बच्चों के विरूद्ध अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम एवं उनसे निपटना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, भारत सरकार के श्रम, यौन तथा शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चों में दुर्व्यपार से लड़ने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित कर रही है।

गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार यूनिट (एएचटीयू) स्थापित करने के लिए सभी राज्यों को वित्तीय सहायता दी है तथा अब तक देश के विभिन्न जिलों में ऐसी 332 यूनिटें स्थापित की गई हैं। गृह मंत्रालय दुर्व्यापार से प्रासंगिक कानून के विभिन्न प्रावधानों तथा दुर्व्यपार को रोकने में उनकी भूमिका के मामले में पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा अभियोजकों को संवेदनशील बनाने के लिए न्यायिक गोष्ठियों एवं राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए राज्यों में न्यायिक अकादमियों एवं राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की मानव दुर्व्यपार यूनिटों के नोडल अधिकारियों की बैठकें भी

आवधिक आधार पर आयोजित की जाती हैं ताकि मानव दुर्व्यापार के मुद्दों पर उनको सुग्राही बनाया जा सके। गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यपार को रोकने एवं इससे निपटने हेतु समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न एडवाइजरी भी जारी की है। ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

दुर्व्यापार की रोकथाम तथा दुर्व्यापार एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन:एकीकरण तथा प्रत्यर्पण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उज्ज्वला स्कीम चला रहा है। इस स्कीम के तहत इस समय देश में 134 संरक्षण एवं पुनर्वास गृहों सहित 254 परियोजनाएं हैं। इन गृहों में मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

इसके अलावा बच्चों का दुर्व्यापार सहित व्यक्तियों के दुर्व्यापार के विभिन्न पहलुओं के व्यापक रूप से निराकरण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक, 2018 के रूप में एक कानून तैयार किया गया।

(ग): पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के लिए उज्ज्वला स्कीम का बजट आवंटन एवं व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2016-17	35.00	24.00	20.31
2017-18	50.00	30.00	24.56
2018-19	50.00	20.00	6.43
2019-20	20.00	-	6.33

(घ): व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास) विधेयक, 2018 लोकसभा द्वारा 26.07.2018 को पारित किया गया। इसके बाद पेश करने और पारित करने के लिए उक्त विधेयक राज्य सभा में भेजा गया परंतु राज्य सभा में इस पर विचार नहीं हो सकता। 14वीं लोक सभा के भंग हो जाने पर विधेयक समाप्त हो गया है।

*****